<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

दिनांकः–21.10.2022

दिनांक 22.10.2022 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जायेगा। इस दौरान यातायात की विशेष व्यवस्था को मध्य नजर रखते हुए शहर के भीतरी क्षैत्र में मुख्य व्यापारिक क्षैत्र में वाहनों का प्रवेश 11.00 ए.एम. से रात्रि 11.00 पी.एम. तक पूर्णतय प्रतिबंधित रहेगा। दो पहिया, तीन पहिया वाहन तथा चार पहिया वाहनों समेत ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी इत्यादि भी प्रतिबंधित क्षैत्र में नहीं जाने दी जावेगी। प्रतिबंधित क्षैत्र में आडा बाजार, सर्राफा बाजार, सिटी पुलिस, माणक चौक, कन्दोई बाजार, कदूस होटल, घंटाघर, बाटा तिराया, जवाहर खाना मोड़ से कदूस की होटल ओर बाटा तिराया से गोरूदा बावडी, मोती चौक, त्रिपोलिया बाजार होते हुए कन्दोई बाजार तक तथा आडाबाजार, दूध का चौहटा, भोली बाई मदिंर, जालप मौहल्ला से बालवाडी तक मुख्य व्यापारिक मार्ग पर केवल पैदल आने जाने वालों लोगों को ही अनुमति होगी। समस्त वाहन चालक जो इस प्रतिबंधित मुख्य मार्ग क्षैत्र में किसी कार्यवश आना चाहते है वो अपने वाहन कृपया निर्धारित पार्किगं स्थानों पर ही पार्क करें।

नई सड़क से घंटाघर पुलिस चौकी तक मुख्य सड़क के दोनों ओर केवल दो पहिया वाहन पार्क हो सकेगें। समस्त प्रकार के तीन पहिया व चार पहिया वाहन राजकीय उम्मेद स्टेडियम के सामने पार्क किए जावें। इसी प्रकार सरदारपुरा बी रोड, गोल बिल्डिंग चौराहा से चिल्ड्रन पार्क तक समस्त प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंधित रहेगा। वाहन गांधी मैदान पार्किग में ही पार्क करेंगे। सरदारपुरा सी रोड पर वाहनों का आवागमन रहेगा। परन्तु किसी प्रकार के वाहन पार्किग नही किये जायेगें। नो–पार्किग क्षेत्र रहेगा।

भीतरी शहर में भीड़ बढ जाने पर पावटा से नई सड़क होकर जालोरीगेट चौराहा जाने वाली सिटीबसों को पावटा चौराहा से ताराचन्द सर्किल, भाटी चौराहा खतरनाक पुलिया होते हुए जालोरीगेट एवं जालोरीगेट से पावटा चौराहा की तरफ आने वाली सिटीबसों को जालोरीगेट से ओलम्पिक तिराहा, खतरनाक पुलिया ताराचन्द सर्किल होते हुए पावटा की तरफ आ–जा सकेंगी।

(चैनसिंह महेचा)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, जोधपुर